न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः सुश्री अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 50/2023

उनवान

रामसिंह पिता केशरीदानसिंह चारण जाति चारण निवासी तली तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

1. विभद्रसिंह पिता विरेन्द्रसिंह चारण जाति चारण निवासी तली तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा। हाल – निवासी आदित्य रेजिडेंसी सदर थाना के पिछे जानामेडी बाँसवाड़ा।
2. श्यामप्रतापसिंह पिता विरेन्द्रसिंह चारण जाति चारण निवासी तली तहसील जानामेंड़ी बांसवाडा। हाल – निवासी आदित्य रेजिडेंसी सदर थाना के पिछे जानामेडी बाँसवाड़ा।
2. सम्पत कुंवर पत्नी विरेन्द्रसिंह चारण जाति चारण निवासी तली तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा। हाल निवासी आहित्य रेजिडेंसी सदर थाने के पिछे जानामेडी बोसवाड़ा।
4. तहसीलदार गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् धारा 88, 209 रा.का. अधिनियम व धारा 136 एल. आर. एक्ट</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक27.6.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकारं हैं कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य व खाते व कब्जे की कृषि भूमि जिसका खाता संख्या (नई) 180 व (पुरानी) 157 में खसरा नम्बर 1002 रकबा 0.16 एयर, खसरा नम्बर 1003/1 रकबा 0.3 एयर, खसरा नम्बर 261 रकबा 0.04 एयर, खसरा नम्बर 424 रकबा 0.04 एयर, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.07 एयर, खसरा नम्बर 431 रकबा 0.018 एयर, खसरा नम्बर 443/2 रकबा 0.07 एयर, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.07 एयर, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.09 एयर, खसरा नम्बर 590 रकबा 0.02 एयर, खसरा नम्बर 604 रकबा 0.03 एयर, खसरा नम्बर 812 रकबा 0. 03 एयर, खसरा नम्बर 813 रकबा 0.04 एयर, खसरा नम्बर 815 रकबा 0.05 एयर, खसरा नम्बर 888/1 रकबा 0. 18 एयर, खसरा नम्बर 985/1 रकबा 0.10 एयर कुल खसरे 16 कुल रकबा 1.1200 हे0 वाके ग्राम तली पटवार हल्का सरेडी छोटी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा में स्थित है। यह कि सम्पूर्ण कृषि भूमि का वादी 1/2 हिस्सा का हकदार है। उक्त कृषि भूमि के मुल खातेदार वादी के पिता केशरीसिंहजी थे उनके तीन पुत्र हुवे क्रमशः देवीसिंह, विरेन्द्रसिंह व रामसिंह नाम है। जिसमें से देवीसिंह नाथी बाई बेवा करणीसिंह निवासी तली को गोद चले गये। बाद में उक्त सम्पुर्ण कृषि भूमि में दो भाई क्रमशः विरेन्द्रसिहं व रामसिंह रहे तथा देवीसिंह अपना उक्त कृषि भुमि का हिस्सा दोनों भाई विरेन्द्रसिंह व रामसिंह को सोंप गये अब उक्त कृषि भूमि रकबा 1.20 हे0 में उक्त दोनों भाई विरेन्द्रसिंह व रामसिंह के हिस्से की जमीन रही है। उक्त खाता संख्या में विरेन्द्रसिंह, रामसिंह पिता किशोरदानसिंह व नाथी बाई बेवा करणीदानसिंह चारण के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी जिसका वर्ष 2006 में खातेदार नाथी बाई बेवा करणीसिंह द्वारा देवीसिंह पिता केशरीसिंह को वसियत कर दी गयी। बाद में उक्त खाते में दो खातेदार क्रमशः विरेन्द्रसिंह व रामसिंह शेष रहे। दोनों खातेदार का उक्त रकबा 1.20 का 1/2 हिस्से का हकदार रहे लेकिन प्रतिवादी 1 व 2 ने आपसी मिलीभगत कर कर्मचारियों की त्रुटीवश राजस्व रेकॉर्ड में वर्ष 2005 में वादी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में हटाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के नाम दर्ज करवा लिया जबकि उक्त खाते की कुल रकबा 1.20 का 1/2 हिस्से का दायी है। प्रतिवादीगणों के नियत में खोट होने से उक्त जमीन को

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

हड़पने के लिये गलत तरिके से से नामान्तरण करवा लिया गया जिसको राजस्व रेकॉर्ड में दुरस्त करना अति आवश्यक है। जिसके लिये धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत एवं वादी को पुनः खातेदार घोषित करने के क्रम में 88, 209 आर. टी. एक्ट के तहत वाद पेश हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण की ओर से श्री अजय चरपोटा, अभिभाषक का वकालतनाम पेश होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा वाद में चाहे गये इमदाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम से वादग्रस्त भूमि बैंक में रहन होने से ऋण चुकता होने के पश्चात् भूमि रहन मुक्त होने की नकल पेश होने पर वादी को सहखातेदार घोषित करने का निर्णय पारित कराने निवेदन किया।

प्रकरण में वादी अभिभाषक द्वारा फर्द दस्तावेज के पटवार हल्का सरेड़ी छोटी के मौजा तली की जमाबन्दी संवत 2075–78 की खाता संख्या 180 (नई) 157 (पुरानी) के कुल किता 16 रकबा 1.20 हे0 भूमि के नामान्तरकरण संख्या 360 दिनांक 26.3.2024 के रहनमुक्त की नकल प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद, अभिलेख तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत राजीनामा, खाता संख्या खाता संख्या 180 (नई) 157 (पुरानी) के कुल किता 16 रकबा 1.20 हे0 भूमि के नामान्तरकरण संख्या 360 दिनांक 26.3.2024 के रहनमुक्त की नकल का अवलोकन किया जाने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूंचा हैं कि वादी व प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार केशरीसिंह के वारिसान है। जिसे प्रतिवादीगण द्वारा अपने राजीनामें में भी स्वीकार किया गया है।

अतः वादी की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का सरेड़ी छोटी के मौजा तली की जमाबन्दी संवत 2075–78 की खाता संख्या 180 (नई) 157 (पुरानी) के कुल किता 16 रकबा 1.20 हे0 भूमि में वादी को प्रतिवादीगण के साथ 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

'आदेश

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का सरेड़ी छोटी के मौजा तली की जमाबन्दी संवत 2075–78 की खाता संख्या 180 (नई) 157 (पुरानी) के कुल किता 16 रकबा 1.20 हे0 भूमि में वादी को प्रतिवादीगण के साथ 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर इस आंशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.6.2024 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

डिक्री व मुकदमे की इब्राजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 50 / 2023

उनवान

रामसिंह पिता केशरीदानसिंह चारण जाति चारण निवासी तली तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

1. विभद्रसिंह पिता विरेन्द्रसिंह चारण जाति चारण निवासी तली तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा। हाल – निवासी आदित्य रेजिडेंसी सदर थाना के पिछे जानामेडी बांसवाड़ा।
2. श्यामप्रतापसिंह पिता विरेन्द्रसिंह चारण जाति चारण निवासी तली तहसील जानामेंड़ी बांसवाड़ा। हाल – निवासी आदित्य रेजिडेंसी सदर थाना के पिछे जानामेडी बाँसवाड़ा।
3. सम्पत कुंवर पत्नी विरेन्द्रसिंह चारण जाति चारण निवासी तली तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा। हाल निवासी आहित्य रेजिंड़ेंसी सदर थाने के पिछे जानामेडी बांसवाड़ा।
4. तहसीलदार गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् धारा 88, 209 रा.का. अधिनियम व धारा 136 एल. आर. एक्ट</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक:27.6.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का सरेड़ी छोटी के मौजा तली की जमाबन्दी संवत 2075–78 की खाता संख्या 180 (नई) 157 (पुरानी) के कुल किता 16 रकबा 1.20 हे0 भूमि में वादी को प्रतिवादीगण के साथ 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 27.6.2024 को जारी की गई।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

27.6.24 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। वादी अभिभाषक द्वारा वाद दस्तावेज के साथ वादग्रस्त भूमि स्वत्वयुक्त होने की जमाबन्दी नकल प्रस्तुत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार प्रकरण में पृथक से निर्णय / डिक्री जारी कर पत्रावली तकमील हाजात बाद दाखिल दफ्तर की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा